FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला

बनाम

म मुकदमा प्रा.पत्र 136 एल.आर.एक्ट नं. 9/2023 सन्

रीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/24	प्रार्थी तुलसी राम पिता रूपा रावत निवासी किसनकेरी के अधिवक्ता मुकेश व्यास सीहि नलवाया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जिसको बाद जांच रजिस्टर किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाये जाने से विपक्षी भूमि तहसीलदार डूंगला से जवाब पास पास किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक (राजस्व) 2023/547 दिनांक 22.11.2023 को जवाब प्रेषित किया गया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार डूंगला ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट मे वर्णित आराजी नम्बर 1562/569 रकबा 0.7600 है. भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकर्ड है तथा प्रार्थी को मिसल नम्बर 666/2001 दिनांक 29.11.2001 से मूल आराजी नम्बर 569 बिलानाम भूमि से 3 बीघा भूमि का आवण्टन हुआ हुआ है. जिसका वर्तमान आराजी नम्बर 1562/569 रकबा 0.7600 है. भूमि है जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे मे सही हो रही है। जबकि प्रार्थी मौके पर ग्राम किसनकेरी आराजी नम्बर 565 मे काबिज हो काश्त कर रहा है। तथा मौके कब्जा आदि का निर्णय [illegible] किया गया है। प्रार्थी आवण्टित भूमि पर काबिज का[illegible] होकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.30 16:28:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Scanned with OKEN Scanner